प्रेषक,

विशेष कार्याधिकारी
ग्राम्य विकास शाखा
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तरांचल
2. समस्त परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
उत्तरांचल
3. समस्त जिला विकास अधिकारी,
उत्तरांचल

पत्रांक 141 / पी.एम.यू.आर.डी. / विशेष परि. / 2002–03 दिनांक 03 सितम्बर 02

विषय : स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विशेष परियोजनाओं के निर्माण हेतु नवीनतम मार्गदर्शिका के प्रेषण विषयक

महोदय,

अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विशेष परियोजनाओं के निर्माण हेतु मार्गदर्शिका में सुधार किये गये हैं, जिसके प्रमुख बिन्दु संलग्नक के रूप में प्रेषित किये जा रहे हैं, अतः भविष्य में उक्त योजना के अन्तर्गत विशेष परियोजनाओं के निर्माण हेतु संलग्नक बिंदुओं अथवा प्रारूप पर ही परियोजनाओं का निर्माण किया जाये.

धन्यवाद

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय
एच.बी.थपलियाल
विशेष कार्याधिकारी

प्रतिलिपि

उपायुक्त (प्रशासन), ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज निदेशालय पौड़ी गढ़वाल उत्तरांचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

एस.जी.एस.वाई. की विशेष परियोजनाओं के अन्तर्गत परियोजना निर्माण के समय ध्यान रखने योग्य मुख्य बिन्दु

1. परियोजना का नाम **(Name of the Project)** -

2. परियोजना की पृष्ठभूमि एवं अवधारणा **(Conceptual Background of the Project)** - इस बिन्दु के अन्तर्गत उन बातों का उल्लेख किया जाना है, जिससे परियोजना एस.जी.एस.वाई की विशेष परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत हो सके तथा भविष्य में इस परियोजना की पुनरावृत्ति (अन्य जनपदों में) की जा सके.

3. परियोजना के उद्देश्य **(Project Objective)** - इसके अन्तर्गत परियोजना में स्वयं सहायता समूह तथा स्वरोजगारियों की आय वृद्धि पर केन्द्रित उद्देश्य सम्मिलित किये जायें उद्देश्य स्पष्ट एवं परियोजना अवधि में पूर्ति हो जाने लायक हों, स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये उद्देश्य बनायें जायें.

4. रणनीति **(Strategy)** - परियोजना संचालित करने हेतु क्या रणनीति अपनायी जायेगी उसका विवरण दिया जाना है, जैसे Mother Farm/Mother Unit की स्थापना उसके पश्चात् व्यक्तिगत एवं समूह में स्वरोजगारियों की इकाई स्थापना आदि, पहले से गठित स्वयं सहायता समूह या नये स्वयं सहायता समूह गठित करने का लक्ष्य इत्यादि.

5. परियोजना अवधि एवं कार्य योजना **(Project Period & Action Plan)** - इसके अन्तर्गत परियोजना की अवधि का स्पष्ट उल्लेख करें तथा वर्षवार कार्य योजना जिसके अनुसार परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना है, उसका विवरण देना है.

6. परियोजना क्षेत्र एवं क्षेत्र विवरण **(Area of the Project and Area Profile)** - इसके अन्तर्गत जिस क्षेत्र विशेष में परियोजना संचालित की जायेगी उसका विवरण, जिसमें प्रस्तावित परियोजना के मुख्य क्रियाकलाप उस क्षेत्र विशेष एवं वहाँ के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त क्यों है इसका उल्लेख किया जाना है.

7. परियोजना के मुख्य क्रियाकलाप **(Key activities to be taken in the Project)** - इसमें कौन–कौन से क्रियाकलाप परियोजना के अन्तर्गत किये जायेंगें उनका विवरण जैसे समूह गठन, प्रशिक्षण, अवस्थापना स्थापना आदि.

8. लाभार्थी विवरण **(Beneficiaries Details)** - इसके अन्तर्गत लाभार्थी सं. उनका वर्गीकरण (सामान्य / महिला / अनु.जाति / अनु.जनजाति / विकलांग)

सहित विवरण लिखना है. तथा उनका परियोजना की गतिविधियों से किस प्रकार सम्बन्ध स्थापित किया जायेगा इसका उल्लेख करें.

9. क्रियान्वयन संस्था **(Implementing Agency)** - इसमें कार्यदायी संस्था DRDA अथवा स्वयं सहायता समूह फेडरेशन अथवा एक से अधिक DRDA आदि का उल्लेख किया जाये तथा एक DRDA का नाम, जिसके नाम से धनराशि परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अवमुक्त की जा सके उसका भी उल्लेख करना आवश्यक है.

10. एन.जी.ओ./पंचायतीराज संस्थान/अन्य विभागों की भूमिका **(Role of NGO/PRIs/Line Departments)** - यदि परियोजना के संचालन में एन.जी.ओ. पंचायती राज संस्थानों तथा अन्य विभागों को भी सम्मिलित किया जाना है तो उनकी क्या भूमिका रहेगी, इसका विवरण लिखना है.

11. परियोजना की सफलता के सूचक **(Bench Mark Survey for Indicators in which the success of the project would be monitored and evaluated)** - परियोजना की सफलता के सूचक के रूप में बैंचमार्क सर्वे के द्वारा समस्त सूचकों का विवरण लिखें, जिसके आधार पर परियोजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जा सके.

12. अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों के साथ एकीकरण **(Integration with other on going rural Development Programmes)** - इस बात का उल्लेख करें यदि प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में संचालित की जा रही अन्य ग्राम्य विकास योजनाओं के साथ एकीकरण हो सके तथा SGSY अतिरिक्त अन्य प्रकार से धनराशि उपलब्ध हो सके.

13. कच्चे माल की आपूर्ति **(Raw Material Supply)** - यदि परियोजना कच्चे माल पर आधारित है तो कच्चे माल की आपूर्ति किस प्रकार की जायेगी, इसका उल्लेख करना है.

14. तकनीकी जानकारी **(Technical know-how)** - यदि तकनीकी की जानकारी का आदान–प्रदान किया जाना है तो उसकी व्यवस्था किस प्रकार की जायेगी. तथा इस सम्बन्ध में विभिन्न तकनीकी संस्थानों (सरकारी/गैर–सरकारी) से MoU किया जायेगा या अन्य कोई व्यवस्था होगी इसका स्पष्ट उल्लेख करें.

15. प्रशिक्षण **(Training Component)** - इसमें इस बात का उल्लेख हो कि कौन सी दक्षता लाभार्थी के पास उपलब्ध है, तथा किस प्रकार का दक्षता प्रशिक्षण दिया जायेगा साथ ही प्रशिक्षण उपलब्ध कराने वाली संस्था, धनराशि की व्यवस्था प्रशिक्षण अवधि का विवरण प्रदान करें.

16. विपणन व्यवस्था **(Marketing arrangement of the produce)** - विपणन व्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादित सामग्री/उत्पाद हेतु उपलब्ध बाजार तथा भविष्य में बाजार के विस्तार की रणनीति तथा विपणन हेतु सभी सम्भावित linkage का विवरण लिखना है. जैसे किसी Private Company से Agreement, SHG Federation द्वारा विपणन आदि.

17. अवस्थापना विकास **(Infrastructure Development)** - परियोजना के अन्तर्गत कौन–कौन से अवस्थापना के कार्य किये जायेगें तथा उनका स्वरोजगारियों के सीधे लाभ हेतु कैसे सम्पर्क स्थापित किया जायेगा तथा स्थापित अवस्थापना हेतु स्टाफ, संचालन खर्चा आदि किस प्रकार व्यवस्थित किया जायेगा.

18. परियोजना के लाभ एवं प्रभाव **(Benefits/Impact of the Project)** - इसमें आयवृद्धि का विवरण तथा वर्षवार आयवृद्धि हेतु सूचकों सहित विवरण प्रदान करें.

19. परियोजना के जोखिम कारक **(Risk Factors affecting the Project)** - परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कौन–कौन से कारक बाधा पहुँचा सकते है उनका उल्लेख करें

20. **Modalities to minimize Risk** - परियोजना के सम्भावित बाधा अव्यवों को कम करने हेतु क्या रणनीति अपनायी जायेगी इसका भी स्पष्ट उल्लेख करें.

21. परियोजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन **(Criteria for monitoring and Evaluation of Project)** - परियोजना के अनुश्रवण एवं मूल्याकंन हेतु विभिन्न मानकों/सूचकों का विवरण तथा परियोजना समाप्ति के पश्चात् अनुश्रवण किस प्रकार किया जायेगा इसका उल्लेख करें.

22. राज्य सरकार की प्रतिबद्धता, जिसमें राज्य सरकार के अंश को उपलब्ध कराने की सहमति प्रदान की गयी हो.

23. संस्थागत वित्तीय सहायता हेतु बैंक की प्रतिबद्धता, जिसमें धनराशि एवं स्वरोजगारियों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख हो.